झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा
षोडश (मानसून) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 24.07.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01–	श्री आलमगीर आलम स0वि0स0	साहेबगंज जिलान्तर्गत पी0डब्लु0डी0 पाकुड़– बरहरवा मुख्य पथ से पथरिया ग्राम के अंतिम छोर तक पथ, एक महत्वपूर्ण पथ है, जहाँ शैक्षणिक संस्थान एवं बाजार अवस्थि है। वर्त्तमान में पथ की स्थिति अत्यंत ही जर्जर रहने से ग्रामीणों को आवागमण में कठिनाई हो रही है। जिसका नव–निर्माण कराना अत्यावश्यक है। अतः पी0डब्लु0डी0 पाकुड़– बरहरवा मुख्य पथ से पथरिया ग्राम के अंतिम छोर तक पथ का नव–निर्माण चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	ग्रामीण विकास
02–	श्री बिरंची नारायण स0वि0स0	बोकारो विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत करीब 20 गाँव यथा– महुआर, श्यामपुर, चैताटांड, कुंडोरी, वैधमारा, वास्तेजी, धनगडी, मधुडीह, महेशपुर, पिपराटांड, शिबूटांड, बनसिमली, पचौरा, कनपट्टा, बोरोटांड, जरिडीह, कनारी, आगरडीह, जमुनियाटांड, बोधनाडीह, इत्यादि बोकारो स्टील प्लांट द्वारा अधिग्रहित वैसी विस्थापित बस्तियाँ है, जहाँ आज तक पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी है, जबकि इन क्षेत्रों में 2 लाख से	ग्रामीण विकास

01.	02.	03.	04.
		अधिक की संख्या में आबादी निवास करती है। इन क्षेत्रों के विस्थापित लोगों को वोटर आईडी कार्ड प्राप्त है, जिससे वे अपना सांसद और विधायक तो चुन सकते है, लेकिन मुखिया और वार्ड सदस्यों का चुनाव नहीं कर सकते हैं। पंचायत में शामिल नहीं होने से इन क्षेत्रो में सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं यथा– प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय निर्माण, इत्यादि का लाभ नहीं मिल पाता है। साथ ही विस्थापित बहुल 15 पंचायतों यथा मानगो, कनारी, गोड़ाबाली उत्तरी, गोड़ाबाली दक्षिणी, माराफारी, नरकेरा पुनर्वास, करहरिया, हैसाबातू, पूर्वी व पश्चिमी, बांसगोड़ा पूर्वी व पश्चिमी, रितुडीह, उकरीद, रानीपोखर और भतुआ, इत्यादि, जिनको पंचायत में शामिल किया गया है, लेकिन इन क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय निर्माण का कार्य नहीं हो रहा है, एवं इसके लिए BSL प्रबंधन दवारा NOC भी नहीं दिया जा रहा है। अतएव मैं इस दिशा में सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए माँग करता हूँ कि बोकारो विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत उक्त 20 विस्थापित गाँव को पंचायत में शामिल कराया जाय तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को समस्त विस्थापित क्षेत्रों में लागू कराया जाय, जिससे इस क्षेत्रों के लोगों को भी इनका संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो और इन क्षेत्रों में संविधान के 73वें संशोधन के आलोक में पंचायती राज व्यवस्था बहाल हो सके।	

01.	02.	03.	04.
03-	श्री कुणाल षडंगी स0वि0स0	पूर्वी सिंहभूम जिला का गुड़ाबांधा प्रखण्ड झारखण्ड के सबसे पिछड़े और उग्रवाद प्रभावित प्रखण्डों में से एक है। प्रखण्ड सृजन के दस वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अब तक सिर्फ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी का पद सृजित है प्रखण्ड स्तरीय शेष पद अब तक सृजित नहीं है। अब तक इस प्रखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना नहीं हुई है। एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की अब तक भवन नहीं बन पाया है। सुवर्णरेखा परियोजना की कनाल गुड़ाबांधा से गुजरकर उड़िसा जाती है लेकिन आज तक शाखा कनाल न बनने के कारण वहाँ के लगभग 5000 किसान और हजारों हेक्टेयर भूमि सिंचाई के लिए पानी से वंचित है। गुड़ाबांधा एक्शन प्लॉन बनाया गया है लेकिन इन समस्यों के निदान के बिना इसका धरातल पर उतरना संभव नहीं है। अतः गुड़ाबांधा प्रखण्ड के विकास हेतु उपरोक्त समस्याओं के निदान हेतु मैं सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी
04-	श्री नवीन जयसवाल स0वि0स0	झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के निर्णय के आलोक में राज्य के हर अंगीकृत महाविद्यालय में इण्टर संकाय के सभी शिक्षक/शिक्षकेत्तर एवं कर्मचारियों को वर्ष 2008 में 4000/- 3000/- एवं 2000/- के मानदेय पर नियुक्ति की गई थी। यह मानदेय महाविद्यालय के छात्रों के नामांकन द्वारा प्राप्त राशि के माध्यम से किया जाता है। विगत वर्षो में अधिविद्य परिषद् ने इनके मानदेय पर संशोधन करते हुए 8000/- 6000/- एवं 4500/- कर दिया गया। जो कि वर्त्तमान समय की परिवेश में यह मानदेय बिल्कुल नियमानुसार मान्य नहीं है।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

		जिस कारण इन महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर एवं कर्मचारियों की स्थिति दयनीय है। साथ ही शिक्षा का गुणवत्ता नीचे स्तर पर गिरता जा रहा है। अतः सदन के माध्यम से उक्त सभी अंगीकृत महाविद्यालय में इण्टर संकाय के सभी शिक्षक/शिक्षकेत्तर एवं कर्मचारियों का मानदेय कम से कम 25000/- 20000/- एवं 15000/- करने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
05-	श्री भानु प्रताप शाही स0वि0स0	चतुर्थ चरण में अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ Time Bound Promotion and Merit Promotion scheme के तहत् दिये जाने का प्रावधान था, दोनों Promotion Scheme को 23.09.1995 से बढ़ाकर 26.07.1998 तक विस्तारित कर दिया गया जबकि Time Bound Promotion Scheme 23.09.1995 तक ही लागू है जिसे विस्तारित करते हुए इस Scheme को भी 26.07.1998 तक किया जाए। राज्य सरकार के मेमो नं0-02/वि.01-39/205 (अनु0) दिनांक-04.01.2019 के आलोक में दिनांक-20.02.2019 को राँची विश्वविद्यालय के द्वारा अभिषद् की बैठक में भी Time Bound Promotion Scheme को विस्तारित करते हुए 26.07.1998 तक करने की अनुशंसा राज्य सरकार से की है। विनोबाभावे विश्वविद्यालय ने भी शिक्षकों की मांग तथा राज्य सरकार के निर्देश के आलोक मे Time Bound Promotion Scheme को विस्तारित करते हुए 26.07.1998 तक करने की अनुशंसा अपने यहाँ आहूत अभिषद् की बैठक में की है।	उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

		अतः एक लम्बे अर्से से कार्यरत शिक्षकों की कर्त्तव्यनिष्ठा एवं भावना को ध्यान में रखते हुए Time Bound Promotion Scheme को 23.09.1995 से बढ़ाकर 26.07.1998 तक विस्तारित करने हेतु मैं सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	

राँची,
दिनांक- 24 जुलाई, 2019 ई0।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-11/2019-...1658.../वि0 स0, राँची, दिनांक- 23/7/19

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/ग्रामीण विकास विभाग/मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/19

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-11/2019-1658...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 23/7/19

प्रतिः- संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

23/7/19

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

23.07.19